

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No. 311/2016

Dated : 21/11/16

1. A License is hereby granted to M/S Maa Tara Pollution Check Center Pro- Sri Niraj Kumar, S/O-Sri Paras Keshari, H.NO-11, P.O+P.S-Bakhari Bazar, Dist-Begusarai to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place building M/S Maa Tara Automobiles, Near Petrol Pump, Bakhari, Dist-Begusarai. The PTS is authorized to test the following types of vehicles:-

- (a) Petrol
- (b) Diesel
- (c) **Petrol Diesel both**

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from : 04-11-2016 to 03-11-2018

Date :

Seal :

*Anand Kumar*  
विशेष सचिव  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।  
Signature of Licensing Authority

The license is hereby renewed from ..... to .....

(Signature of License Authority)

ज्ञापक- 6506

पटना, दिनांक- 21/11/16

- प्रतिबन्धि :
1. मेसर्स माँ ताग प्रदूषण जांच केंद्र, प्रो० श्री नीरज कुमार, पिता श्री पारस केशरी, गृह संख्या- 11, पो० थाना-बखरी बाजार, जिला बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ./बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पथद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  3. आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

*Anand Kumar*  
विशेष सचिव  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।  
(Signature of License Authority)

नोट:- यह अनुज्ञापित पारपृष्ठ पर उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

## शर्तें:

- i. वाणिज्य पंजी का संधारण, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण स्तर के लिये पंजी क्रिये गये वाहन वाहन की विनिर्देशों का उल्लेख रहे।
- ii. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र संख्या।
- iii. जांच क्रिये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबंधन का वर्ष।
- iv. निरीक्षण के समय गैस/धुएँ का स्तर/कार्बन मोनो ऑक्साइड का प्रतिफल।
2. निरीक्षण किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिमाण तथा निर्गत किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अगले माह के पांच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना।
3. अपने केंद्र मोटर वाहन निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना साथ ही केंद्र द्वारा संधारित सभी वाहन एवं अभिलेख उपलब्ध कराना।
4. मोटर वाहन की किसी भी त्रुटि को दूर करना, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 115 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन।
5. विहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली 2003 के नियम 163 ग के अधीन विहित फीस से अधिक प्रचारित नहीं करना।
6. अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना जांच केंद्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटाना।
7. प्रदूषण जांच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन की जांच शीघ्र की जायगी तथा उन्हें जांच केंद्र का मालिक अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शीघ्र देना।
8. प्रदूषण जांच केंद्र का मालिक चलान को संकेत देते हुए प्रदूषण जांच केंद्र नामक एक साईन बोर्ड सहज दृश्य स्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे।
9. प्रदूषण जांच केंद्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की 100 पन्नों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका, प्रत्येक पर क्रम से नम्बर अंकित होगी, संधारित करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रेषित होगी।
10. अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना सं० 3144 दिनांक 05.08.04 एवं विभागीय परिपत्र सं० 4064 दिनांक 12.10.04 में निहित शर्तों का पालन करना होगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
12. प्रदूषण जांच केंद्र में वेव-कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा। उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।